फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

बाबूदेवी बनाम पूनमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 263/22 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07/06/2022	प्रार्थीनी की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीनी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किय गया। प्रार्थीनी की पैतृक भूमि मौजा कसुम्बला फांटा पटवार हल्का कुसम्बला भाटियान तहसील गिड़ा में आई हुई है। प्रार्थीनी के अनुसार विप्रार्थीगण प्रार्थीनी की सम्पूर्ण भूमि को बेचने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थीनी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना, प्रतीत होता है अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 28/06/2022 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा कसुम्बला फांटा पटवार हल्का कुसम्बला भाटियान तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 101, 324/100 रकबा क्रमशः 26.1427, 5.8275 हैक्टयर की भूमि में न ही प्रार्थीनी के हक हिस्से की भुमि का बेचान व अन्य प्रकार से हस्तांरण, रहन इत्यादि करें। विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में दखलंदाजी नहीं करें। राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पाबन्द रहे। प्रार्थीनी अधिवक्ता 3 योम में विप्रार्थीगणों के नोटिस मय रजिस्ट्री खर्चा पेश करें, नहीं पेश करने पर अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही खारिज मानी जायेगी। नोटिस पेश होने पर विप्रार्थीगणों को समन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 28/06/2022 को पेश हों। सहायक कलेक्टर बायतु	

21/06/2022

विपार्थी संख्या -1 के द्वारा जरिये अधि-
वक्ता प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पत्रावली आज पेशी
तारीख पर तलब करने बाबत का प्रस्तुत किया
गया जिसे स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज
पेशी तारीख पर तलब की गई वादिनी का मूल
वाद खारीज हो चुका है। इसलिए आवेदन का
कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः उक्त आवेदन को
इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो,
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर